

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

आदेश

क्रमांक 1391/गोपनीय/2018  
दो-2-1/2018

जबलपुर, दिनांक 20 नवम्बर, 2018

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री अमिताभ मिश्र, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, पन्ना को, उनके कार्य के अतिरिक्त, पन्ना जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, वर्तमान पदधारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यमुक्त होने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री अमिताभ मिश्र को सत्र न्यायालय में वर्तमान पदधारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यमुक्त होने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री अमिताभ मिश्र, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, पन्ना की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

क्रमांक 1392/गोपनीय/2018  
दो-2-1/2018

जबलपुर, दिनांक 20 नवम्बर, 2018

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री आनंद प्रिय राहुल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को, उनके कार्य के अतिरिक्त, अशोकनगर जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, वर्तमान पदधारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यमुक्त होने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री आनंद प्रिय राहुल को सत्र न्यायालय में वर्तमान पदधारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यमुक्त होने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री आनंद प्रिय राहुल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

क्रमांक 1393/गोपनीय/2018  
दो-2-1/2018

जबलपुर, दिनांक 20 नवम्बर, 2018

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री सुरेन्द्र कुमार, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को, उनके कार्य के अतिरिक्त, उमरिया जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, वर्तमान पदधारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यमुक्त होने के दिनांक से पदस्थ करता है।

  
20/11/18

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री सुरेन्द्र कुमार को सत्र न्यायालय में वर्तमान पदधारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यमुक्त होने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री सुरेन्द्र कुमार, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

क्रमांक 1394/गोपनीय/2018  
दो-2-1/2018

जबलपुर, दिनांक 20 नवम्बर, 2018

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री राजेश कुमार गुप्ता, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजगढ़ को, उनके कार्य के अतिरिक्त, राजगढ़ जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, वर्तमान पदधारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यमुक्त होने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री राजेश कुमार गुप्ता को सत्र न्यायालय में वर्तमान पदधारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यमुक्त होने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री राजेश कुमार गुप्ता, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, राजगढ़ की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

क्रमांक 1395/गोपनीय/2018  
दो-2-1/2018

जबलपुर, दिनांक 20 नवम्बर, 2018


भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुये, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, श्री राजाराम भारतीय, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, बालाघाट को, उनके कार्य के अतिरिक्त, बालाघाट जिले के प्रभारी जिला न्यायाधीश की हैसियत से पूर्णतः अस्थाई रूप से, वर्तमान पदधारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यमुक्त होने के दिनांक से पदस्थ करता है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्रमांक सन् 1994) की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, श्री राजाराम भारतीय को सत्र न्यायालय में वर्तमान पदधारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कार्यमुक्त होने के दिनांक से, सत्र न्यायाधीश नियुक्त करता है।

  
20/11/18

जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने पर, श्री राजाराम भारतीय, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश, बालाघाट की हैसियत से पदस्थ माने जावेंगे।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,

  
(अरविंद कुमार शुक्ला)  
रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक **1396 / गोपनीय / 2018**  
दो-2-1 / 2018

जबलपुर, दिनांक 20 नवम्बर, 2018


प्रतिलिपि:-

1. उपनियंत्रक शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स हबीबगंज, भोपाल-6, को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
2. प्रमुख सचिव एवं विधि परामर्शी मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल-462004, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
3. महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम (टी0एम0 अनुभाग), कार्यालय महालेखाकार, (लेखा/हकदारी) प्रथम, मध्यप्रदेश, लेखा भवन, झांसी रोड, ग्वालियर- 474002, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
4. महालेखाकार (2) मध्यप्रदेश, ग्वालियर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
5.
  - (1) श्री अमिताभ मिश्र, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पन्ना,
  - (2) श्री आनंद प्रिय राहुल, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर,
  - (3) श्री सुरेन्द्र कुमार, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया,
  - (4) श्री राजेश कुमार गुप्ता, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, राजगढ़
  - (5) श्री राजाराम भारतीय, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, बालाघाट

को सूचनार्थ एवं अनुपालन हेतु अग्रेषित। उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई रूप से, जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियमित पदधारी की पदस्थापना होने तक की अवधि के लिये की गई है।
6. कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पन्ना/ अशोकनगर/ उमरिया/ राजगढ़/ बालाघाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
7. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, \_\_\_\_\_ को सूचनार्थ अग्रेषित ।
8. रजिस्ट्रार (आई0टी0), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को निम्न न्यायिक अधिकारियों को आदेश की प्रति ई-मेल द्वारा प्रेषित करने हेतु :-
  - (1) जिला जज (निरीक्षण), उच्च न्यायालय प्रांगण, जबलपुर/ जिला जज (निरीक्षण), जे0ई0-1, जजेस एनक्लेव, रेसीडेन्सी ऐरिया, इन्दौर - 452001/ जिला जज (निरीक्षण), 28/बी, रेसकोर्स रोड, मेला ग्राउण्ड के सामने, ग्वालियर (म0प्र0) को सूचनार्थ अग्रेषित ।
  - (2) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/ इन्दौर को सूचनार्थ अग्रेषित ।
  - (3) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर, न्यू हाईकोर्ट बिल्डिंग, सिटी सेन्टर, ग्वालियर को सूचनार्थ अग्रेषित ।

- (4) सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, 574, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- (5) प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (सतर्कता)/ (न्यायिक)/ (I.L.R. & Examination), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- (6) रजिस्ट्रार (Exam & Labour Judiciary)/ (जिला स्थापना)/ (आई0एल)/ (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2)/ (सतर्कता)/ रजिस्ट्रार/सचिव, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/ (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- (7) संचालक/अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, प्रथम तल, उत्सादित राज्य प्रशासनिक अधिकरण बिल्डिंग, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 9 रजिस्ट्रार (ई0)/लेखा अधिकारी/ बजट अधिकारी/ ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकाल)/ डिप्टी रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)/ (न्यायिक-2), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 10 रजिस्ट्रार-कम-माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के प्रमुख निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 11 माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 12 माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर/इन्दौर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 13 माननीय न्यायाधिपति श्री \_\_\_\_\_ के निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ ग्वालियर/ग्वालियर को माननीय न्यायाधिपति महोदय के सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 14 रजिस्ट्रार जनरल के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 15 अनुभाग अधिकारी, पेन्शन /बजट/ सहायक (कार्य)/ शिकायत/ वेतन निर्धारण (राजपत्रित)/ अग्रिम/ अवकाश (राजपत्रित)/ सिविल चेकर/ क्रिमिनल चेकर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, को सूचनार्थ अग्रेषित ।

**टिप्पणी :-** रजिस्ट्री पृष्ठांकन क्र. **Reg (IT) (SA) /2018/368**, दिनांक 01/03/2018 के द्वारा ट्रांसफर व पोस्टिंग संबंधी आदेशों की प्रिंटिंग, फोटोकॉपी एवं सायक्लोस्टाइल किया जाना बंद कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के तारतम्य में समस्त संबंधितों को सूचित किया जाता है कि वे आदेश की प्रति डाउनलोड करें व तदनुसार आवश्यक कार्यवाही का पालन सुनिश्चित करें।

  
 (अरविंद कुमार शुक्ला)  
 रजिस्ट्रार जनरल